



How to get Yellow Fever Vaccination at AIIMS Bhopal?

Step I

- 6. Day of vaccination Every Wednesday (except gazetted holidays)
- 7. When to report?

All the traveller need to report between 9:00 am and 11:00 am for registration. Vaccination is conducted between 11:00 am and 1:00 pm.

- 8. What Documents are required?
 - a) Valid Indians passports with a self-attested photocopy,
 - b) Proof of exemption (see point 3) in case the traveller is not eligible for vaccination
- 9. Where to report?
 - a) May I Help You Desk in the OPD registration Counter area of the hospital building, OR
 - b) Counter No. 2 (online registration counter) in the OPD registration area of the hospital building
 - c) You can obtain online appointment of CFM OPD though the AIIMS Bhopal website (http://aiimsbhopal.edu.in/) or through ORS portal of Government of India (http://www.ors.gov.in/copp/appointment.jsp)

Step II

10. Process of Vaccination

a) Assessment of Eligibility – Obtain an OPD card of CFM department. Report with OPD card to the Immunization Clinic, Room No 5 in the hospital building itself. Get assessed by any staff and follow his/her instructions.

Step III

11. Payment of Fees

- Pay Rs 300 at the billing counter (no 3) in OPD registration area and obtain the receipt of payment.
- b) Now proceed back to the immunization clinic (Room no 5).

Note: Please don't pay the fees without assessment of eligibility by the nursing staff/ doctor in-charge.

Step IV

a) Vaccination – Produce the receipt to the nursing staff in the immunization room and get registered there.

4





Frequently asked questions about Yellow Fever Vaccination

Who needs to take Yellow Fever Vaccine?
 All Indian citizens travelling to or through the following 43 African and South American countries*

African Countries			South American Countries	
Angola	Equatorial Guinea	Mauritania	Argentina	Suriname
Benin	Ethiopia	Niger	Bolivia	Trinidad and Tobago
Burkina Faso	Gabon	Nigeria	Brazil	Venezuela
Burundi	Gambia	Rwanda	Columbia	DEV 18
Cameroon	Ghana	Senegal	Ecuador	boall Id
Central African Republic	Guinea	Sierra Leone	French Guyana	
Chad	Guinea-Bissau	Sudan	Guvana	
Congo	Kenya	South Sudan	Panama	1
Cote d'Ivoire	Liberia	Togo	Paraguay	distribution of the same
Democratic Republic of Congo	Mali	Uganda	Peru	BOD (d

2. Where can someone get the Yellow Fever Vaccine?

The Yellow Fever Vaccine can be received only from a Hospital or Health Facility designated by DGHS, MoHFW, Government of India. In Madhya Pradesh, AIIMS Bhopal is currently the only designated facility. The vaccine is provided through CFM department.

3. Can everybody be given the Yellow Fever Vaccine? No, there are certain people who cannot receive the Yellow Fever Vaccine due to any of the following reasons. They need to obtain Exemption Certificate after showing proof of their non-eligibility.

S No	Criteria for Exemption	Document for Proof of non-eligibility	
1	Age less than 9 months or more than 65 years	Passport	
2	Pregnancy and breast-feeding	Certificate from treating obstetrician or registered medical practitioner	
3	Proven history of egg allergy	Certificate/ report from an accredited laboratory about egg allergy	
4	Immunodeficiency from medication (eg steroids, anticancer treatment etc) or disease (eg thymus disorders, SCID etc.)	Certificate from treating registered medical practitioner	
5	Symptomatic HIV infection	Certificate from treating registered medical practitioner	
6	Hypersensitivity to previous dose of yellow fever vaccine	Certificate from the centre where the previous yellow fever vaccine was given	

4. When someone should get vaccinated? The travellers must get themselves vaccinated at least 10 days before their scheduled arrival in the 43 African/ South American countries mentioned above.

5. How long is the certificate valid? The Yellow Fever Vaccination Certificate is valid for a period of 10 years from the date of vaccination.





Note: After vaccination, all travellers need to be observed for at least 30 minutes for any immediate adverse events.

Step V

a) How to get Certificate?

The nursing staff would get the International Certificate signed by the Nodal Officer of Yellow Fever Vaccination Facility or Medical Superintendent, AIIMS Bhopal.

Note: The travellers should check that their certificate is complete in all respects, stamped and signed.

- 12. How much time is expected to be spent in different steps
 - a) Inquiry & Registration 15-20 minutes
 - b) Assessment of Eligibility 25-30 minutes
 - c) Payment of fees 10-15 minutes
 - d) Vaccination 15-20 minutes
 - e) Certificate Distribution 30-40 minutes

Note: Unforeseen circumstances may delay one or many of the above processes. Please be prepared for delays beyond our control (eg sufficient number of travellers not turning up, equipment malfunction, etc). The vaccines are available in 2-dose or 10-dose vials. Therefore, travellers would be vaccinated in multiples of 2, 4, 6 etc (for 2-dose vial) or 10, 20, 30 etc (for 10-dose vial).

Details can be obtained from Immunization Clinic (Room No 5), CFM OPD, AIIMS Hospital, Saket Nagar, Bhopal. You can also contact the following persons for clarifications –

- i. Dr Sanjeev Kumar Nodal Officer, Yellow Fever Vaccination Facility
- Sri Balwant Kumar Nursing Officer Grade II and coordinator, Yellow Fever Vaccination Facility
- iii. Medical superintendent, AIIMS Bhopal





How to obtain Exemption Certificate

As mentioned earlier, certain groups of travellers can't be given yellow fever vaccine. They need to obtain Exemption Certificate after producing following documents –

- a) Valid Indian Passport and self-attested photocopy
- b) Original Proof for non-eligibility for yellow Fever Vaccination

The process for Exemption Certificate is -

- a) Assessment for non-eligibility through verification of documents
- b) Explanation of the exemption certificate and need for quarantine/isolation for 6 days at entry point upon returning back to India
- c) Provision of the certificate

How to obtain Duplicate Yellow Fever Vaccination Cards

Travellers who were vaccinated at AIIMS Bhopal, but had lost their original Yellow Fever Vaccination Certificate need to obtain a duplicate certificate. They can obtain the duplicate Yellow Fever Vaccination Certificate after presenting the following documents —

- a) Request letter (it would be provided in the immunization clinic)
- b) Copy of F.I.R about lost / stolen original certificate
- c) Copy of passport (please carry original for verification)
- d) Copy of Old Yellow Fever Vaccination Certificate

(Dr K C TAMARIA) Medical Superintendent AIIMS Hospital





पीत ज्वर या येलो फीवर टीकाकरण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पीत ज्वर या येलो फीवर का टीका / वैक्सीन लेने की जरूरत किसे पड़ती है? सभी भारतीय नागरिक जो निम्नलिखित 43 अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों* के लिए या उसके माध्यम से यात्रा करने वाले हैं ।

अफ्रीकी देश			दक्षिण अमेरिकी देश	
अंगोला	इक्वेटोरियल गिनी	मॉरिटानिया	अर्जेंटीना	सूरीनाम
बेनिन	इथियोपिया	नाइजर	बोलीविया	त्रिनिदाद एंड टोबैगो
ब्किंना फासो	गैबॉन	नाइजीरिया	ब्राजील	वेनेजुएला
बुरुंडी	गाम्बिया	रवांडा	कोलंबिया	
कैमरुन	घाना	सेनेगल	इक्वाडोर	1.4000
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	गिनी	सिएरा लिओन	फ्रेंच गयाना	
चाड	गिनी-बिसाउ	सूडान	गयाना	THE TOY BUT IN A
कांगो कांग	केन्या	दक्षिण सूडान	पनामा	हैं कि जिल्हा है ।
कोटे डी आइवर	लाइबेरिया	टोगो	परागुए	E FUOT SHE NO
लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो	माली	युगांडा	पेरू	जिल्ला है है है जिल्ला है

2. येलो फीवर वैक्सीन कहां मिल सकंता है?

येलो फीवर वैक्सीन केवल उन अस्पतालों या स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डीजीएचएस द्वारा नामित किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में एम्स भोपाल एकमात्र नामित केंद्र है। इस अस्पताल के सीएफएम विभाग के माध्यम से टीके लगाये जाते है।

3. क्या सभी को येलो फीवर वैक्सीन दिया जा सकता है?

नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो निम्न एक या अधिक कारणों से येलो फीवर वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी गैर-पात्रता के सब्त दिखाने के बाद उन्हें **छूट प्रमाण पत्र** (Exemption Certificate) प्राप्त करने की आवश्यकता है |

इन कारणों के होने पर येलो फीवर टीका नहीं दिया जा	इस दस्तावेज़ को दिखाना होगा	
सकता	क्या से आवया का नाम हाना, उपन्तर में बहुन क	
9 महीने से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु	पासपोर्ट	
गर्भावस्था और स्तनपान	पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र	
अंडे से एलर्जी का सिद्ध इतिहास	एलर्जी के बारे में एक प्रमाणित प्रयोगशाला से प्रमाण पत्र / रिपोर्ट	
रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जो दवा (जैसे स्टेरॉयड, कैंसर की दवाइयाँ आदि) या बीमारी (जैसे थाइमस ग्रंथि की बीमारियाँ, एससीआईडी आदि)		
रोगी एचआईवी संक्रमण	पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र	
पीत ज्वर टीका की पिछले खुराक पर अतिसंवेदनशीलता	उस केंद्र से प्रमाण पत्र जहां पिछली बार पीत ज्वर का टीका दिया गया था	
	सकता 9 महीने से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु गर्भावस्था और स्तनपान अंडे से एलर्जी का सिद्ध इतिहास रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जो दवा (जैसे स्टेरॉयड, कैंसर की दवाइयाँ आदि) या बीमारी (जैसे थाइमस ग्रंथि की बीमारियाँ, एससीआईडी आदि) रोगी एचआईवी संक्रमण	





येलो फीवर का टीका कब लगाया जाना चाहिए?

ऊपर वर्णित 43 अफ्रीकी / दक्षिण अमेरिकी देशों में यात्रा करने से कम से कम 10 दिन पहले टीका लगाया जाना चाहिए।

5. येलो फीवर टीकाकरण का प्रमाणपत्र की मान्यता कब तक होती है?

येलो फीवर टीकाकरण का प्रमाण पत्र टीकाकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।

एम्स भोपाल में येलो फीवर टीकाकरण कैसे प्राप्त करें?

चरण-1

- 6. टीकाकरण का दिन हर ब्धवार (राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर)
- 7. कब रिपोर्ट करें? सभी यात्री को पंजीकरण के लिए 9: 00 से 11:00 के बीच रिपोर्ट करना है। टीकाकरण 11:00 बजे और 1:00 बजे के बीच आयोजित किया जाता है।
- कौन सा दस्तावेज आवश्यक हैं?
 - a. वैध मूल भारतीय पासपोर्ट एवं उसकी स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी,
 - b. टीकाकरण के लिए अपात्र यात्रियों के लिए **छूट प्रमाण पत्र** (Exemption Certificate) संबंधित दस्तावेज (बिंदू 3 देखें)
- 9. रिपोर्ट कहां करें?
 - a. अस्पताल भवन के ओपीडी पंजीकरण क्षेत्र में आपको सहायता डेस्क, या
 - b. अस्पताल भवन के ओपीडी पंजीकरण क्षेत्र में **काउंटर नंबर** 2 (ऑनलाइन पंजीकरण काउंटर)
 - c. आप एम्स भोपाल की वेबसाइट (http://aiimsbhopal.edu.in/) या भारत सरकार के ओआरएस पोर्टल (http://www.ors.gov.in/copp/appointment.jsp) के जिरए ऑनलाइन सीएफएम विभाग में पंजीकरण करवा सकते हैं |

चरण -2

10. टीकाकरण की प्रक्रिया

ए) पात्रता का आकलन - सीएफ़एम विभाग का ओपीडी कार्ड प्राप्त करें। ओपीडी कार्ड के साथ प्रतिरक्षण किलनिक, कमरा नं 5 में रिपोर्ट करें। निर्सिंग कर्मचारी द्वारा पात्रता का आकलन करवाएं और उनके निर्देशों का पालन करें।

चरण -3

- 11. फीस का भ्गतान
- ए) ओपीडी पंजीकरण क्षेत्र में **बिलिंग काउंटर** (3 **नंबर**) पर 300 **रुपये** का भुगतान करें और भुगतान की रसीद प्राप्त करें।





बी) अब प्रतिरक्षण क्लिनिक (कक्ष संख्या 5) पर वापस जाएं।

नोटः कृपया नर्सिंग स्टाफ / डॉक्टर प्रभारी द्वारा पात्रता के मूल्यांकन के बिना फीस का भुगतान न करें। चरण- 4

12. **टीकाकरण** - टीकाकरण के कमरे में नर्सिंग स्टाफ को रसीद दें और वहां इंतज़ार करें।

नोट: टीकाकरण के बाद, किसी भी तत्काल प्रतिकूल घटनाओं के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए सभी यात्रियों की निगरानी की जाएगी।

चरण -5

13. टीकाकरण प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

नर्सिंग स्टाफ आपका येलो फीवर टीकाकरण प्रमाणपत्र नोडल अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक, एम्स भोपाल द्वारा हस्ताक्षर करवा कर प्रदान करेंगे ।

नोटः यात्रियों को यह जांचना चाहिए कि उनके प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए, मुद्रांकित और हस्ताक्षरित हैं।

- 14. विभिन्न चरणों में सामान्यतः कितना समय लगता है ?
 - a. पूछताछ एवं पंजीकरण 15 से 20 मिनट १५ से २० मिनट
 - b. पात्रता का आकलन 25 से 30 मिनट
 - c. फीस का भुगतान 10 से 15 मिनट
 - d. टीकाकरण 15 से 20 मिनट
 - e. प्रमाणपत्र का वितरण 30 से 40 मिनट

नोट: अप्रत्याशित परिस्थितियों में उपरोक्त प्रक्रियाओं में से एक या कई में देरी हो सकती है। कृपया हमारे नियंत्रण से परे विलंब के लिए तैयार रहें (जैसे कि पर्याप्त संख्या में यात्रियों का नहीं होना, उपकरण खराब होना आदि)। टीके 2-डोज या 10-डोज शीशियों में उपलब्ध हैं। इसलिए यात्रियों को 2, 4, 6 आदि (2-डोस शीशी के लिए) या 10, 20, 30 आदि (10-डोस शीशी के लिए) के गुणकों में टीका लगाया जाएगा

और जानकारी **टीकाकरण क्लिनिक (कक्ष संख्या** 5), **सीएफ़एम ओपीडी, एम्स अस्पताल** से प्राप्त की जा सकती है | आप निम्नलिखित अधिकारीयों से भी संपर्क कर सकते हैं -

- a) डॉ संजीव कुमार नोडल अधिकारी, येलो फीवर टीकाकरण सुविधा
- b) श्री बलवंत कुमार नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड II और समन्वयक, पीला फीवर टीकाकरण सुविधा
- c) चिकित्सा अधीक्षक, एम्स भोपाल





छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यात्रियों के कुछ समूहों को येलो फीवर का टीका नहीं दिया जा सकता है। ऐसे यात्रियों को येलो फीवर टीकाकरण से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है जो निम्नलिखित दस्तावेज के आधार पर दिए जायेंगे -

- ए) वैध मूल भारतीय पासपोर्ट और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी
- बी) पीले बुखार टीकाकरण के लिए गैर-पात्रता के लिए मूल साक्ष्य

छूट प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है:-

- ए) दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से गैर-पात्रता के लिए मूल्यांकन
- बी) छूट प्रमाणपत्र का स्पष्टीकरण और भारत में वापस लौटने पर 6 दिनों के लिए संगरोध / अलगाव की आवश्यकता पर चर्चा
- सी) प्रमाणपत्र वितरण

ड्प्लिकेट येलो फीवर टीकाकरण कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिन यात्रियों को पहले येलो फीवर का टीका एम्स भोपाल में लगाया गया है और मूल प्रमाणपत्र खो गया है उन्हें डुप्लिकेट येलो फीवर टीकाकरण कार्ड की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं -

- क) अनुरोध पत्र (यह प्रतिरक्षण क्लिनिक में प्रदान किया जाएगा)
- बी) खोए गए / चोरी हुए मूल प्रमाण पत्र के बारे में एफआईआर की प्रति
- सी) पासपोर्ट की प्रतिलिपि (कृपया सत्यापन के लिए मूल पासपोर्ट लायें)
- डी) पुराने येलो फीवर टीकाकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि

डॉ के. सी. तामरिया चिकित्सा अधीक्षक एम्स भोपाल